(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1900—तीन/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 11—10—2006 के द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 391/निग0/2005—06

1— श्रीमती मन्ती देवी पत्नी बाल्मीक प्रसाद (मृतक) वारिसानः—

1. रामकुमार पाण्डेय
2. गोविन्द प्रसाद पाण्डेय

निवासी — ग्राम हिनौती, तहसील सिरमौर

जिला—रीवा, म0प्र0

2— श्रीमती सरोज पत्नी ऋषिकेश प्रसाद

निवासी—ग्राम बुड़वा, तहसील—सिरमौर

जिला—रीवा, म0प्र0

3— श्रीमती कलावती पत्नी ठाकूसर प्रसाद

निवासी—ग्राम हर्दी, तहसील—रायपुर कर्चलियान

जिला—रीवा, म0प्र0 ——— आवेदिकागण

विरूद्ध

श्रीमती प्रेमवती पत्नी रामसरोहर (मृतक) वारिसानः—

1. लक्ष्मीकांत
2. अनिल कुमार गौतम

निवासी—ग्राम हर्दी, तहसील—रायपुर कर्चलियान

जिला रीवा म0प्र0 ——— अनावेदिका

.....

श्री एस0एल0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदिकागण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 13 दिसम्बर 16 को पारित)

आवेदिकागण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–10–2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप्त में संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि षष्ट्म अपर जिला–न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट रीवा द्वारा दिनांक 11.05.2004 को पारित आदेश एवं डिक्री के पालन में तहसीलदार के द्वारा विवादित आराजियों में बटवारा की कार्यवाही प्रारंभ की गई। जहां पर आवेदिकागण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। इस आपत्ति पर तहसीलदार ने उभयपक्ष को सुनने के उपरांत दिनांक 07.10.2005 को निराकरण किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदिकागण द्वारा अधीनस्थ अपर कलेक्टर, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। जहां अधीनस्थ अपर कलेक्टर, रीवा ने अपने प्रकरण क्रमांक 167/अ–6/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 18.04.06 द्वारा निरस्त किया गया। जिसके विरूद्ध में आवेदिकागण द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा निगरानी पेश की गई जो प्रकरण क्रमांक 391/निग0/ 2005–06 पर पंजीबद्ध होकर पारित आदेश दिनांक 11–10–2006 द्वारा निरस्त किया गया। इसी के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिकागण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा सिविल न्यायालयों द्वारा पारित किसी निर्णय एवं डिक्री को उल्ट–फेर करने की अधिकारिता के समक्ष प्रस्तुत आदेश एवं डिक्री में संलग्न अनुलग्न "ग" एवं "घ" में एक ही भूमियों का नामांतरण एक ही प्रक्रिया के नाम से हो सकता है। जबकि उक्त डिक्री के आधार पर किये गये नामांतरण में एक जमीन को दो प्रक्रियों के नाम पर नहीं किया जा सकता । ऐसी डिक्रियों के नाम पर नहीं किया जा सकता । ऐसी डिक्रियों के आधार पर पारित किया गया, विवादित आदेश निरस्त किया जाना न्यायसंगत था। विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदिका द्वारा आवेदिकागण को पक्षकार ही नहीं बनाया गया, जब ऐसी स्थिति में उक्त सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं डिक्री आवेदिकागण पर बंधनकारी न होने के उपरांत भी मानकर पारित किया गया। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया कि अनावेदिका द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आपत्ति भी प्रस्तुत की गई थी। उक्त आदेश एवं डिक्री में

आवेदिकागण पक्षकार नहीं है, तब उसके स्वामित्व के भू–भाग पर उक्त डिक्री एवं आदेश बंधनकारी न होने के उपरांत भी आवेदिकागण की आपत्ति को निरस्त करने में एवं न मानने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि निर्णय एवं डिक्री में श्रीमती भगवयिा का अनुलग्न ''ड'' में वर्णित भूमियों पर 1/2 हिस्सा माना है, तब ऐसी स्थिति में श्रीमती भगवनिया की 4 पुत्रियों का हिस्सा समान होने से केवल एक पुत्री अनावेदिका के हित में की गई नामांतरण की कार्यवाही विधि–सिद्धांतों एवं नामांतरण नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जब वरिष्ठ अपीलीय न्यायालय प्रथम दृष्टया यह कर्त्तव्य बनता है कि रिकॉर्ड का बारिकी से अध्ययन कर विचारण न्यायालय को उभयपक्षों की उपस्थिति में कहराई से जांच कर विधिवत आदेश पारित कि जाना चाहिये जो ना पारित कर गंभीर त्रुटि की है । अंत में आवेदिकागण के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक 11.10.2006 निरस्त किये जाने तथा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदिका के अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि षष्ट्म अपर जिला–न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट रीवा द्वारा दिनांक 11.05.2004 को पारित आदेश एवं डिक्री के पालन में तहसीलदार के द्वारा विवादित आराजियों में बटवारा की कार्यवाही प्रारंभ की गई। तहसीलदार के समक्ष आवेदिकागण के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिस पर तहसीलदार ने प्रस्तुत आपत्ति का विधिसम्मत निराकरण किया था और वह निराकरण सिविल न्यायालय की डिक्री के आधार पर ही किया गया था। अधीनस्थ अपर कलेक्टर, रीवा ने अपने प्रष्नाधीन आदेश में निष्कर्ष पारित किया है कि यदि सिविल न्यायायल की डिक्री में कोई लिपिकीय त्रुटि विसंगति या विरोधाभाष होता है तो उसका निराकरण सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने अपर कलेक्टर रीवा के द्वारा पारित आदेश को त्रुटिपूर्ण मानकर निरस्त किया है। विचारण न्यायालय द्वारा सभी आपत्तियों का सिविल न्यायालय के आदेशानुसार ही निराकृत की गई है, जिसमें किसी तरह की कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती। इसकी पुष्टी अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा अपने विस्तृत आदेश में किया गया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में आवेदिकागण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2006 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर